

12-01-2023

पत्रावली पेस (की) वहील सापल उप०। दावा
वादी सिविल प्रिफा संदिता के भौडर 9 स्थल
5 के प्रावधानो के अन्तर्गत मोर कम्पलापन्स
अदम तक्मील में खारिज ठिया जा चुका है।
प्रार्थना पत्र. वाद का भाग होता है। मूल वाद
खारिज होने के कारण प्रार्थना पत्र को भी
इसी स्तर पर खारिज ठिया जाता है। पत्रावली
केवल सुमार होकर, अन्वर से उम हो, शामिल मूल
वाद हो।

Rv

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धीलपुर) राज